


समक्ष माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर


(म०प्र०)

अम-539-11/16



राजस्व निगरानी प्रकरण क्र०-...../2016

निगराकार/अनावेदकगण:-



1-महन्त रामआश्रयदास गुरु महन्त पंचमदास जी महाराज- अब स्व०

जरिये विधिक प्रतिनिधि -

A- महन्त श्री ओंकारदास गुरु महन्त श्री रामाश्रयदास उम्र लगभग ... वर्ष, निवास निरमोही अखाड़ा चित्रकूट, तहसील मझगवां, जिला सतना म०प्र०

1B- श्री दीनदयालदास उर्फ दीपकदास अधिकारी गुरु महन्त श्री रामाश्रयदास उम्र लगभग ... वर्ष, निवास निरमोही अखाड़ा चित्रकूट, तहसील मझगवां, जिला सतना म०प्र०

विरुद्ध

गैरनिगराकार/आवेदक:-

01-भैरव प्रसाद पिता ईश्वरी प्रसाद पाण्डेय वगैरह साकिन कामता, तहसील मझगवां, जिला सतना म०प्र०

02-राज्य म०प्र० द्वारा जिलाध्यक्ष सतना, जिला सतना म०प्र०

03-राज्य म०प्र० द्वारा नायब तहसीलदार, वृत्त चित्रकूट, जिला सतना म०प्र०

निगरानी विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार वृत्त चित्रकूट, तहसील मझगवां, जिला सतना म०प्र० द्वारा राजस्व प्रकरण क्र०-78ए74/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30/01/2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/539/2016, सतना, महन्तशमाश्रय / अश्व प्रसाद

8/11/19

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

आवेदक की ओर से श्री एस.के. शर्मा अर्थात् अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार पुत्र चित्रेश्वर के प्रकरण क्रमांक 78/A-74/14-15 में पारित आदेश दिनांक 30/01/15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 23/4/19 को कलेक्टर जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

सदस्य

[Handwritten signature]